कार्यालय अधिशासी अभियन्ता,
राष्ट्रीय मार्ग खण्ड, लो0नि0वि0,देहरादून
सिटी जंक्शन मॉल के सामने, निकट आई0एस0बी0टी0 देहरादून

Office of the Executive Engineer, National Highways, Division, PWD, Dehradun Uttrakhand

Email- eenhddn@gmail.com

पत्रांकः 1404 /4बी0 दिनांकः 18/07/2022

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी
हरिद्वार वन प्रभाग
हरिद्वार।

विषयः— **जनपद—हरिद्वार में केन्द्रीय सड़क योजना के अन्तर्गत रूड़की—लक्सर—बालावाली मार्ग (राज्य मार्ग सं0 26) के कि0मी0 1 से 19 तक पेव्ड शोल्डर से मार्ग के चौड़ीकरण/सुदृढ़ीकरण हेतु 7.32 हे0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु रा0मा0 खण्ड, लो0नि0वि0 को प्रत्यावर्तन।**

सन्दर्भः— **कार्यालय अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड देहरादून का पत्रांक 91/FP/UK/ROAD/153125/2022 देहरादून दिनांक 08.07.2022।**

महोदय,

उपरोक्त संदर्भित पत्र के क्रम में पत्रानुसार वर्णित बिन्दुओं पर आपत्तियों का निराकरण बिन्दुवार निम्नवत् हैः—

1. प्रस्ताव में वास्तविक रूप से काटे जाने वाले वृक्षों की सूची ऑनलाइन अपलोड है जो कि प्रस्ताव के पेज सं0 44—45 में संलग्न है।
2. प्रभावित वृक्षों की सूची प्रस्ताव के पेज सं0 44—45 में संलग्न है। अन्य कार्यवाही आपके द्वारा की जानी है।
3. उक्त विषयक मार्ग पूर्व निर्मित है। वर्तमान मे उक्त मार्ग का चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण का कार्य किया जाना है। जिसके 7 मी0 एवं 9 मी0 ROW में कोई भी पेड़ स्थित नही है। मार्ग में जल निकासी हेतु नाला निर्माण एवं सुरक्षित यातायात हेतु पटरी निर्माण कार्य हेतु बाधक/प्रभावित पेड़ों की सूची प्रस्ताव के पेज सं0 44—45 में संलग्न है।
4. वास्तविक रूप से काटे जाने वाले वृक्षों की सूची ऑन लाइन अपलोड है एवं प्रस्ताव में पेज संख्या 44—45 पर है।
5. आपके द्वारा कार्यवाही की जानी है।
6. उक्त विषयक मार्ग पूर्व से निर्मित है। वर्तमान में उक्त मार्ग का चौड़ीकरण एवं सुदृढीकरण का कार्य किया जाना है। इस मार्ग के पुनः निर्माण में किसी भी प्रकार का मलवा निस्तारण नही किया जाना है। अपितु मार्ग निर्माण हेतु मलवे की आवश्यकता है।
7. उक्त विषयक मार्ग पूर्व निर्मित है। वर्तमान मे उक्त मार्ग का चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण का कार्य किया जाना है। अतः मार्ग का कोई भी वैकल्पिक संरेखण प्रस्तावित नही है।
8. बिन्दु सं0 6 के अनुसार।
9. परियोजना में वन अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत ग्रामवासियों का अनापत्ति प्रमाण पत्र एवं ग्राम सभा बैठक की उपस्थिति के सम्बन्ध में अवगत कराना है, कि उक्त मार्ग जनपद हरिद्वार में अवस्थित है। वर्तमान में जनपद हरिद्वार में ग्राम पंचायतें अस्तित्व में न होने के कारण ग्राम पंचायतों का कार्यभार सम्बन्धित ग्राम पंचयातों के प्रशासकों के पास होने से कार्य हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किया गया है जो कि ऑन लाइन अपलोड है एवं प्रस्ताव में पेज संख्या— 53 से 59 तक पर संलग्न है।

अतः उक्तानुसार आपत्तियों का निराकरण कर प्रस्ताव 3 प्रतियों में अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

संलग्नः—उपरोक्तानुसार।

प्रभागीय वनाधिकारी हरिद्वार
डाक प्राप्ति
दिनांक 20/07

18.7.2022

(इं0 जितेन्द्र कुमार त्रिपाठी)
अधिशासी अभियन्ता,
राष्ट्रीय मार्ग खण्ड, लो0नि0वि0,
देहरादून

दिनांकः 18/07/2022

पत्रांकः 1404/4बी0

1. प्रतिलिपि अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड देहरादून को सूचनार्थ प्रेषित।
2. प्रतिलिपि सहायक अभियन्ता तृतीय/चतुर्थ/पंचम, रा0मा0 खण्ड, लो0नि0वि0, देहरादून को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

18.7.2022

अधिशासी अभियन्ता,
राष्ट्रीय मार्ग खण्ड, लो0नि0वि0,
देहरादून।